फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती कमला बाई — **बनाम** — **विपक्षी : श्री लेहरीलाल व अन्य**

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 116/22**

कार्यवाही विवरण

दिनांक 27.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 4, 5 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 4, 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण मे प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के मध्य आपसी राजीनामा मुल वाद मे पेश किये जाने से आपसी राजीनामा स्वीकार कर आंशिक डिक्री जारी की गई जिससे प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध कोई दाद शेष नही रही। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 4, 5 के विरूद्ध मुल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की विपक्षी संख्या 4, 5 के विरूद्ध एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 से 5 के मूलपुरूष डालु जी से खरीद कर कब्जा लिया गया जिसमें खसरा संख्या 2077 क्षै. 7 बिघा 10 बिस्वा में से 1/2 हिस्से यानि 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि के साथ–साथ खसरा संख्या 2079 क्षै. 15 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि जो की पाल के रूप में हैं वह भी मिली हुई है एवं विक्रय पत्र लिखते समय इस बात की जानकारी नहीं होने से खसरा संख्या 2079 की 5 बिस्वा भूमि का अंकन विक्रय पत्र में होना रह गया जिससे मुल वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया। प्रकरण में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 3 के मध्य आपसी राजीनामा होकर आंशिक डिक्री जारी की जा चुकी है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 4, 5 के विरूद्ध ही जारी है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि का 1/4 हिस्सा विपक्षी संख्या 4, 5 के पति/ पिता के नाम गलत अंकन रह जाने से विपक्षी प्रार्थीया के हक अधिकारों को नुकसान कारित करने पर उतारू है जिससे विपक्षी संख्या 4, 5 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 4, 5 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से पाया कि विक्रय पत्र में चारों दिशाओं के पडौस अंकित है जिसमें उत्तर दिशा का पडौस स्पष्ट रूप से आम रास्ता अंकित किया हुआ हैं एवं वृक्ष, डाली, पाली, निकास एवं सुखाधिकार सहित विक्रय किया हुआ हैं जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे निर्णित किया जाता हैं। अन्य बिन्दुओं को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 449 की आराजी नम्बर 4321 किता 1 रकबा 0.0500 है. भूमि में विपक्षी संख्या 4, 5 [illegible] तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:27 IST
Reason: SelfAttested